बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

97/100

पत्रांक-प्र07-ज0वि0प्र0-17/2010 4028 खाद्य, पटना/दिनांक- 12/5/2011

प्रेषक,

कृष्ण चन्द्र झा,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
नगर विकास विभाग, बिहार, पटना ।
प्रधान सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना ।

विषयः- प्रस्तावित बिहार राज्य लोक सेवा देने की गारंटी विधेयक 2010 के अन्तर्गत निर्धारित समय सीमा में राशन कार्ड निर्गम के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा राज्य लोक सेवा देने की गारंटी विधेयक, 2010 को लागू करने का प्रस्ताव विचाराधीन है । प्रस्तावित विधेयक में राशन कार्ड निर्गत करना भी लोक सेवा के अन्तर्गत शामिल किया गया है । प्रस्तावित विधेयक के प्रारूप में राशन कार्ड निर्गत करने हेतु 30 दिन की अवधि निर्धारित की गई है ।

उल्लेखनीय है कि जिन परिवारों का नाम ग्रामीण विकास विभाग अथवा नगर विकास विभाग द्वारा सर्वेक्षित सूची में शामिल है उनके लिए राशन कार्ड के निर्गत करने में कोई कठिनाई नहीं है परन्तु जिन परिवारों का नाम किसी कारणवश सर्वेक्षित सूची में शामिल नही है वैसे परिवारों को निर्धारित अवधि के अन्दर हीं सर्वेक्षण सूची में शामिल करते हुए राशन कार्ड निर्गत करना होगा ।

यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि पारिवारिक सर्वेक्षण सूची के विरूद्ध प्राप्त आवेदन/आपत्ति का निष्पादन प्रतिवर्ष माह जून में किया जाना है । ऐसी स्थिति में प्रस्तावित राज्य लोक सेवा देने की गारंटी विधेयक, 2010 के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में राशन कार्ड निर्गत करने में कठिनाईयाँ होगी ।

अतएव अनुरोध है कि सभी जिलों को इस आशय का निदेश निर्गत किया जाय कि राशन कार्ड का आवेदन प्राप्त होते हीं जाँचोपरान्त यदि आवेदक के परिवार का नाम पारिवारिक सर्वेक्षण सूची में शामिल नहीं हो तो उसका नाम समय पूर्व ही सर्वेक्षण सूची में शामिल कर लिया जाय ताकि निर्धारित अवधि 30 दिनों के अन्दर सक्षम पदाधिकारी द्वारा राशन कार्ड निर्गत किया जा सके ।

विश्वासभाजन
11/5/11
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक- प्र07-ज0वि0प्र0-17/2010 4028 खाद्य, पटना/दिनांक- 12/5/2011

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ प्रेषित ।

11/5/11
सरकार के अपर सचिव ।

D:\Drive_F\Year.-2011\Sec-7 Right to Public Service.doc